

मल्टीमीडिया प्रशिक्षण कार्यशाला

महिलाओं के विरुद्ध होनेवाले अपराधों को रोकने के लिये बिहार पुलिस ने अनोखी पहल की है। पुलिस स्वयंसेवी संगठनों और महिला हेल्पलाइन के सहयोग से कन्या विद्यालयों व महिला महाविद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर लड़कियों को बाहर में होने वाली अपराधिक घटनाओं से बचने का गुर सीखायेगी। इसमें मुख्य तौर पर उन्हें किसी के झांसे में नहीं आने और मल्टीमीडिया सेल फोन व इंटरनेट के जरिये किये जाने वाले अपराधों से बचाव की जानकारी दी जायेगी।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध ऐसे कई अपराध हुये हैं, जिनसे वे बच सकती थीं। जानकारी का अभाव होने की वजह से अधिकतर आपराधिक घटनायें हुईं। यह देखते हुये अपराध अनुसंधान विभाग ने किशोरियों और महिलाओं को जागरूक करने के लिये राज्य के सभी कन्या विद्यालयों और महिला महाविद्यालयों में कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है। जिलों के पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र के अधीन स्कूलों व कॉलेजों में कार्यशाला आयोजित कर छात्राओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराध से बचाव की जानकारी दें। कार्यशाला में विशेष तौर पर पारिस्थितिक संवेदनशीलता (परिस्थिति का सही ढंग से आकलन करने) की क्षमता उत्पन्न करने और मल्टीमीडिया सेल फोन व इंटरनेट के दुरुपयोग से होनेवाले खतरे से उन्हें अवगत कराना है। छात्राओं व महिलाओं को यह भी बताया जायेगा कि आत्मरक्षार्थ वे क्या कदम उठा सकती हैं ताकि अपराधी अपने मकसद में कामयाब न हो सके।

अपराधियों से खुद को बचाने का गुर सीखेंगी छात्राएं

पटना (एसएनबी)। महिलाओं के विरुद्ध होनेवाले अपराधों को रोकने के लिए बिहार पुलिस ने अनोखी पहल की है। पुलिस स्वयंसेवी संगठनों और महिला हेल्पलाइन के सहयोग से कन्या विद्यालयों व महिला महाविद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर लड़कियों को बाहर में होने वाली अपराधिक घटनाओं से बचने का गुर सीखायेगी। इसमें मुख्य तौर पर उन्हें किसी के झांसे में नहीं आने और मल्टीमीडिया सेल फोन व इंटरनेट के जरिये किये जाने वाले अपराधों से बचाव की जानकारी दी जायेगी।

आईजी (कमजोर वर्ग) अरविंद पांडेय ने बताया कि छल के दिनों में महिलाओं के विरुद्ध ऐसे कई अपराध हुए हैं, जिनसे वे बच सकती थीं। जानकारी का अभाव होने की वजह से अधिकतर आपराधिक घटनाएं हुईं। यह देखते हुए सीआईडी ने किशोरियों और महिलाओं को जागरूक करने के लिए राज्य के सभी कन्या और

- ▶ स्कूल-कॉलेजों में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित होगा
- ▶ सेल फोन के दुरुपयोग से किया जाएगा सावधान



महिला महाविद्यालयों में कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है। जिलों के पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र के अधीन स्कूलों व कॉलेजों में कार्यशाला आयोजित कर छात्राओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराध से बचाव की जानकारी दें। इसके लिए वे सम्बन्धित विभाग द्वारा संचालित महिला हेल्प लाइन और स्वयंसेवी संगठनों की मदद लें। कार्यशाला में विशेष तौर पर पारिस्थितिक संवेदनशीलता (परिस्थिति का सही ढंग से आकलन करने) की क्षमता उत्पन्न करने और मल्टीमीडिया सेल फोन व इंटरनेट के दुरुपयोग से होनेवाले खतरों से उन्हें अवगत कराना है। छात्राओं व महिलाओं को यह भी बताया जायेगा कि आत्मरक्षार्थ वे क्या कदम उठा सकती हैं ताकि अपराधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। आईजी के मुताबिक कार्यशाला के जरिये छात्राओं और महिलाओं को कैसे अपराध से बचना है जो उनके सचेत रहने से टल सकता है।

कार्यशाला के जरिये छात्राओं और महिलाओं को कैसे अपराध से बचना है जो उनके सचेत रहने से टल सकता है।

मोबाइल के फायदे व नुकसान बता रही पुलिस

पटना (एसएनबी)। महिलाओं के विरुद्ध होनेवाले अपराधों को रोकने के लिए बिहार पुलिस ने अनोखी पहल की है। पुलिस कन्या विद्यालय व महिला महाविद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर छात्राओं को बाहरी परिवेश में होनेवाले आपराधिक घटनाओं से बचने का गुर सिखा रही है। इसमें मुख्य तौर पर उन्हें किसी के झांसे में नहीं आने और मल्टी मीडिया सेल फोन व इंटरनेट के माध्यम से की जानेवाले धोखाधड़ी से बचने का तरीका बताया जा रहा है।

आईजी कमजोर वर्ग अरविंद पांडेय ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध ऐसे कई अपराध हुए हैं जिससे वे बच सकती थीं। जानकारी के अभाव में अधिकतर मामले घटित हुए। इसे देखते हुए कन्या विद्यालयों और महिला महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। जिलों के पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र के अधीन स्कूलों व कॉलेजों में कार्यशाला आयोजित कर छात्राओं को उनके विरुद्ध घटित होने वाले अपराध से बचाव की

जानकारी दें। इसकी शुरुआत हो गई है। फिलहाल शिवहर और सुपौल पुलिस ने अपने जिलों में स्थित कई कन्या विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। जल्द ही इस तरह की कार्यशाला पटना के भी चुनिंदा शिक्षण संस्थानों में होगी।

कार्यशाला में विशेष तौर पर पारिस्थितिक संवेदनशीलता (परिस्थिति का सही ढंग से आकलन करने) की क्षमता उत्पन्न करने और मल्टी मीडिया सेल फोन व इंटरनेट के दुरुपयोग से होनेवाले खतरों से उन्हें अवगत कराया जा रहा है। छात्राओं को यह भी बताया जा रहा है कि

- ▶ मल्टी मीडिया सेल फोन के दुरुपयोग से किया जा रहा सावधान
- ▶ स्कूलों व कॉलेजों में पुलिस आयोजित कर रही प्रशिक्षण कार्यशाला

आत्मरक्षार्थ वे क्या कदम उठाएँ जिससे अपराधी नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। आईजी कमजोर वर्ग के मुताबिक कार्यशाला का मकसद छात्राओं को जैसे अपराध से बचना है जो उनके सचेत रहने से टल सकती है। कन्या विद्यालयों व महिला महाविद्यालयों के अलावा अन्य महिला शिक्षण संस्थानों में भी ऐसी कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

इसी अभियान के अगले चरण में , बिहार भक्ति आंदोलन और आजाद बचपन द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से छात्र-छात्राओं के बीच मल्टी मीडिया मोबाइल फोन के खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए एक हैंडबिल तैयार किया गया है जो अभी सोनपुर मेला में संचालित सी आई डी की अपराध-निरोध-प्रदर्शनी में वितरित किया जा रहा है। इसके साथ ही आगामी कुछ ही समय बाद बिहार के पटना और दूसरे जिलों में पुलिस द्वारा विद्यालयों-महाविद्यालयों में प्रस्तावित कार्यशालाओं में भी छात्र-छात्राओं के बीच वितरित किया जाएगा ..

मल्टी मीडिया मोबाइल फोन “आपका सच्चा दोस्त भी और खतरनाक दुश्मन भी”

बिहार भक्ति आंदोलन द्वारा किशोर-किशोरियों के हित में प्रसारित

मल्टी मीडिया मोबाइल फोन आपकी सुरक्षा करता है और अभूतपूर्व सुविधा भी देता है किन्तु आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है..



ध्यान रहे कि आपका दोस्त भी मल्टी मीडिया मोबाइल फोन को आपके खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयोग कर सकता है और दोस्त अक्सर दुश्मन बनते देखे जाते है...

इसलिए यह सावधानी आपको अपने दोस्तों से ही रखनी होगी....

आपकी ही सुरक्षा के लिए ध्यान देने योग्य कुछ बातें :

सावधानी बरते :

- अपने मोबाइल फोन के द्वारा बिना अनुमति के किसी की फोटो क्लिक न करे और न अपनी फोटो लेने दें यदि आप ये करते हैं तो आप दूसरे की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं
- किसी मित्र से भी सेल फोन पर बात करने में संयम रखें... हो सकता है आपके विषय को गोपनीय न रखा जाता हो क्योंकि मल्टीमीडिया फोन में बात करते समय ही बातें रिकॉर्ड की जा सकती हैं
- अजनबियों से एसएमएस/एमएमएस से प्राप्त न करे और न ही शेयर करे
- एसएमएस या एमएमएस (मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस) अश्लीलचित्र/अश्लील विषय सामग्री हस्तांतरित करना या रखना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 5 वर्ष तक के कारावास के साथ दंडनीय अपराध है. इसलिए यदि कोई आपको ऐसी सामग्री भेजता है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे
- अपना ब्लू टूथ खुला न रखें, अन्यथा आप अश्लील सन्देश, चित्र और वायरस प्राप्त कर सकते हैं.
- चिप क्लोनिंग से बचने के लिए अनधिकृत सेवा केन्द्र में मोबाइल फोन रिपेयर के लिए मत दें क्योंकि आपके चिप की क्लोनिंग करके उसका दुरुपयोग किया जा सकता है
- किसी को भी अपनी अनुपस्थिति में अपने मोबाइल का उपयोग करने के लिए अनुमति न दें
- अपना IMEI नंबर अवश्य नोट करके रखें, यह 16 अंकों की एक संख्या होती है. जब मोबाइल चोरी हो जाता है तब इसी संख्या के आधार पर पुलिस पता कर लेती है कि चोरी गया मोबाइल फोन किसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है...
- इस नंबर का उपयोग करके चोरी गये मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक कर सकते हैं.
- अपने मोबाइल फोन को दुरुपयोग से बचाने के लिए सुरक्षा पिन कोड का उपयोग करें
- एंटी वायरस सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल फोन में अवश्य लोड करा के रखे
- मोबाइल फोन का की-पैड प्रत्येक उपयोग के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए

कैसे जानें कि आपके फोन की जासूसी हो रही है :

- आपको अपना फोन बंद करने में परेशानी होती है। फोन स्क्रीन रुक जाता है। फोन बंद होने के बाद स्क्रीन रोशन रहती है।
- आप फोन का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं फिर भी फोन में कभी-कभी रोशनी जलने लगती है..
- जब आप कॉल कर रहे होते हैं तब कभी-कभी अजीब क्लिक या अन्य शोर सुनते हैं।
- आपके फोन की बैटरी सामान्य से अधिक तेजी से खत्म होने लगती है।
- आपके फोन बिल में आपके द्वारा किये जा रहे मैसेज से अधिक मैसेज के लिए चार्ज किया जाता है।
- यदि यह सब हो रहा हो तो संभव है आपके फोन की क्लोनिंग कर ली गयी हो और आपकी निजता (privacy) पर हमला किया जा रहा हो।
- यदि ऐसा हो तो आप तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या निम्नांकित ईमेल, फैक्स या दूरभाष पर सूचित कीजिये।

विशेष किशोर पुलिस इकाई



बिहार भक्ति आन्दोलन
गर्व से कहो-हम बिहारी हैं

Email : bihaarbhakti@gmail.com
: biharbhakti@yahoo.com

अपराध अनुसंधान विभाग,
पुलिस मुख्यालय, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना
कार्यालय दूरभाष : 0612-2217994, फैक्स : 0612-2217020

Email : igwscid@gmail.com,



Bihar Bhakti Andolan
Say With Pride-I Am Bihari

Website : www.biharbhakti.com